


(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)


राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>सुजाकि</u> पंचमं <u>श्री</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>शायदी</u> तहसील- <u>शायदी</u>						
क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	57	310, 312, 313, 314 खिला-04	1.757 है	① कालिया पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार ② बाबुरा पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार ③ भमवीया पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार	① कालू राम पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार ② बाबू राम पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार ③ अंवरलाल पुत्र श्रीवावाम खिसा ॥ 16 जाति अलि सा. देह खातेदार	
मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संयत <u>2075-2076</u> 2019-2020 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	प०हल्का _____ मू०अ०नि० _____ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण थन्दीबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	प०हल्का _____ मू०अ०नि० _____ राजस्व अधिकारी _____ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय आबूरोड ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक _____


 पटवारी (म. अ.)
 पंचमं
 तहसील- आबूरोड (मि.)

दिनांक 24/12/25


 ह० मू०अ०नि०
 शाही


 ह० राजस्व अधिकारी